

[2025] 10 S.C.R. 301 : 2025 INSC 1182

विनिश्मा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य

(सिविल अपील सं. 12487/ 2025)

06 अक्टूबर, 2025

[संजय कुमार एवं आलोक अराधे*, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादक

यह मुद्दा उठा कि क्या आक्षेपित निविदा शर्त तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी को पूरा करती है और क्या यह एक मनमाना मानदंड है जो अन्य योग्य बोली लगाने वालों को भागीदारी से बाहर करता है जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 (1) (छ) में निहित जनादेश का उल्लंघन होता है।।

शीर्ष टिप्पण+

भारत का संविधान - अनुच्छेद 14, 19(1)(छ) - निविदा - निविदा शर्त - तर्कसंगतता और निष्पक्षता की परीक्षा - छत्तीसगढ़ राज्य ने शासकीय विद्यालयों को खेल सामग्रियों (स्पोर्ट्स किट) की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना जारी किए - पिछले पालन निर्बंधन के संबंध में निविदा शर्त कि बोली लगाने वालों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार अभिकरणों को कम से कम 6 करोड़ रुपये मूल्य के खेल सामग्रियों की आपूर्ति की होनी चाहिए - अपीलार्थी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया गया - अपीलार्थी द्वारा निविदा की शर्त की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - शुद्धता :

अभिनिर्धारित : आक्षेपित निविदा शर्त मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण - राज्य में बच्चों को खेल सामग्री की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है - यह अनुच्छेद 14 के आदेश और अनुच्छेद 19 (1) (छ) द्वारा

संदत व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है - आक्षेपित निविदा शर्त का प्रभाव उन बोली लगाने वालों को बाहर करने का है जो यद्यपि अन्यथा वित्तीय रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम हैं, लेकिन पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के अभिकरणों को खेल सामग्रियों की आपूर्ति करने का कोई अनुभव नहीं है - सार्वजनिक उपापन का उद्देश्य राजकोष के लाभ के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षित करना है - बोली लगाने वालों के लिए वित्तीय क्षमता, तकनीकी अनुभव और संविदा के पालन के स्थान की परवाह किए बिना इसी प्रकार की प्रकृति के अन्य संविदाओं में पिछले पालन को प्रदर्शित करना आवश्यक बनाकर उक्त उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है - निविदा में भाग लेने की पात्रता को एक राज्य के भीतर सीमित करना न केवल तर्कहीन है बल्कि खेल सामग्रियों की प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लक्ष्य के लिए भी अननुपातिक है - जब राज्य को निविदा में शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वह उस शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकता है जो संवैधानिक संदाय का उल्लंघन करता है, बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार को बंद कर - समान अवसर के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा के द्वार उन सभी के लिए खोले जाएं जो समान रूप से रखे गए हों - आक्षेपित निविदा शर्त उन सक्षम और अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं को निविदा में भाग लेने से अपवर्जित करती है जिन्होंने शायद अन्य राज्यों या केंद्र सरकार के विभागों के लिए कहीं अधिक बड़े अनुबंधों को निष्पादित किया हो, और गुटबंदी (कार्टेलाइजेशन) को बढ़ावा देने का प्रभाव पड़ता है - राज्य द्वारा दिया गया तर्क कि छत्तीसगढ़ एक माओवादी प्रभावित क्षेत्र है और केवल छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के अभिकरणों को राज्य में आपूर्ति का पिछला अनुभव रखने वालों पर भरोसा किया जा सकता है, असमर्थनीय - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ आक्षेपित निविदा सूचनाओं को निरस्त तथा अपास्त किया गया। [कण्डिका 17-23]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 19 (1) (ख)- समान अवसर का सिद्धांत - अवधारणा:

अभिनिर्धारित : समान अवसर का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जब अनुच्छेद 19 (1) (छ) का अर्थ लगाया जा रहा हो - अनुच्छेद 19(1)(छ) किसी कंपनी को व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वह समान अवसर का सिद्धांत लागू करने का हकदार है, यद्यपि सार्वजनिक हित के अधीन - समान अवसर का सिद्धांत वह स्थान प्रदान करता है जिसके भीतर समान रूप से रखे गए प्रतियोगियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाती है ताकि बड़े सार्वजनिक हित की दिशा में बढ़ा जा सके - समान अवसर के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि सभी समान रूप से रखे गए प्रतियोगियों को व्यापार और वाणिज्य में भाग लेने का समान अवसर दिया जाए - यह कृत्रिम बाधाओं को खड़ा करके राज्य को कुछ के पक्ष में बाजार को मोड़ने से रोकने के लिए बनाया गया है। [कण्डिका 16, 18]

उद्धृत किए गए निर्णय विधि

एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ व अन्य [2004] सप. 6 एस.सी.आर. 496:(2005) 1 एस. सी. सी. 679; रमण दयाराम शेटी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण व अन्य [1979] 3 एस.सी.आर.1014 : (1979) 3 एस.सी.सी. 489 : ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1628; शिक्षा निदेशालय व अन्य बनाम एडुकोम्प डेटामैटिक्स लिमिटेड व अन्य [2004] 2 एस.सी.आर. 1010:(2004) 4 एस.सी.सी. 19; ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड व एक अन्य बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड व अन्य [2005] 3 एस.सी.आर. 1108 : (2005) 4 एस.सी.सी. 435; शिमनी उत्तम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल परिवहन अवसंरचना विकास निगम मर्यादित व अन्य [2010] 6 एस.सी.आर. 1110 : (2010) 6 एस. सी. सी. 303; आईकॉम टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड व एक अन्य [2019] 2 एस.सी.आर. 984 : (2019) 4 एस. सी. सी. 401; यूफ्लेक्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य [2021] 7 एस.सी.आर. 571 : (2022) 1 एस.सी.सी. 165; भारत संघ व अन्य बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड व एक अन्य [2022] 17 एस.सी.आर. 1012 : (2022) 17 एस. सी. सी. 188 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

निविदा की शर्त; तर्कसंगतता और निष्पक्षता का परीक्षण; मनमाने मानदंड; योग्य बोली लगाने वाले; छत्तीसगढ़ राज्य; खेल सामग्रियों की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना; शासकीय विद्यालय; पिछला पालन प्रतिबंध; निविदा प्रक्रिया; तर्कसंगत सांठगांठ; सार्वजनिक उपापन; राजकोष; समान अवसर का सिद्धांत; गुटबंदी; माओवादी प्रभावित क्षेत्र; व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार।

प्रकरण उद्धृत

सिविल अपील अधिकारिता : सिविल अपील सं. 12487/2025

रिट याचिका (सिविल) सं. 4266/2025 के साथ सिविल अपील सं. 12488/2025 एवं 12486/2025 में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के 11.08.2025 दिनांकित निर्णय व आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण :

एम. दत्त, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितीश कुमार सिंह, अभिषेक राज, अमित कुमार ठाकुर, हर्ष अभिषेक, अनिल कुमार सोनी, आनंद कुमार सोनी, नितिन कुमार सिन्हा।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण :

प्रफुल्ल कुमार भरत, सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता/ अटर्नी जनरल, बलबीर सिंह, सुनील ओतवानी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री अंकिता शर्मा, अर्जुन डी. सिंह, सुश्री इशिका नियोगी, पल्लव मोंगिया, अनुभव मिश्रा, सुश्री कशिश लालवानी, अमित सोनी, रजत खत्री, अभय कुमार, शगुन रुहिल।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायधीश

1. अनुमति दी गई।
2. ये अपीलें अपीलार्थी द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं में पारित 11.08.2025 और 12.08.2025 दिनांकित आदेशों को अपवाद मानती हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उक्त आदेशों द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय प्राथमिक विद्यालय, शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और शासकीय उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल सामग्रियों (स्पोर्ट्स किट) की आपूर्ति के लिए जारी किए गए दिनांकित तीन निविदा सूचनाओं में निहित आक्षेपित निविदा शर्त को चुनौती दी है।
3. इन अपीलों को दायर करने के लिए तथ्य जो एक संकीर्ण दिशा में स्थित हैं, वे इस प्रकार हैं:

(I) तथ्य

4. अपीलार्थी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और बिहार, कर्नाटक, गुजरात राज्यों के विभिन्न विभागों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को खेल सामग्रियों की आपूर्ति करने का अनुभव होने का दावा करती है। प्रत्यर्थी सं. 1 छत्तीसगढ़ राज्य है जबकि प्रत्यर्थी सं. 2 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय, स्कूली शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार है।
5. एकीकृत बाल विकास सेवा (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेन्ट सर्विस/ आई.सी.डी.एस.) योजना बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1975 में शुरू की गई एक योजना है, जो केंद्र सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है। उक्त योजना में बच्चों के समग्र विकास के लिए सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया गया है और यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को काफी हद तक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

6. समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय, स्कूली शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए खेल सामग्री की आपूर्ति के लिए गवर्नमेंट- ई -मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से 21.07.2025 को तीन निविदा सूचना (जिसे इसके बाद "आक्षेपित निविदा सूचना" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) प्रकाशित किए। राज्य के सभी 33 जिलों में स्थित 5540 संकुल (क्लस्टर) संसाधन केंद्रों को खेल सामग्रियों की आपूर्ति की जानी थी। निविदा का निविदा मूल्य रु. 15.24 करोड़, रु. 13.08 करोड़ और रु. 11.49 करोड़ था।

7. आक्षेपित निविदा सूचनाओं की धारा III (क) अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ योग्यता मानदंड निर्धारित करती है। अपीलार्थी अतिरिक्त नियमों और शर्तों अर्थात् शर्त सं. 1,4,11 और 13 से व्यथित था, जिन्होंने अपीलार्थी को आक्षेपित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अतः इसने राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ को 29.07.2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त अभ्यावेदन कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहा। इसके बाद अपीलार्थी ने तीन रिट याचिकाएं अर्थात् रिट याचिका (सिविल) सं. 4266/2025, रिट याचिका (सिविल) सं. 4263/2025 एवं रिट याचिका (सिविल) सं. 4274/2025 प्रस्तुत की जिसमें उपरोक्त आक्षेपित निविदा शर्तों की वैधता को चुनौती दी गई थी।

8. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान 07.08.2025 दिनांकित शुद्धिपत्र की शर्त सं. 1, 11 और 13 को हटा दिया गया। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने रिट याचिका (सिविल) सं. 4266/2025 तथा रिट याचिका (सिविल) सं. 4263/2025 में पारित 11.08.2025 दिनांकित एक सामान्य आदेश द्वारा और रिट याचिका (सिविल) सं. 4274/2025 में पारित 12.08.2025 दिनांकित आदेश द्वारा अन्य बातों के अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि पिछले पालन के संबंध में आक्षेपित पात्रता शर्त, शर्त सं. 4, **एसोशिएसन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम भारत संघ व अन्य**¹ की शर्त के समान प्रकृति और उद्देश्य

1 (2005) 1 SCC 679

की है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थीओं ने प्रदर्शित किया है कि आक्षेपित निविदा शर्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अद्वितीय नहीं है बल्कि गुजरात, असम, दिल्ली, उड़ीसा और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में प्रचलित है। उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह पाया गया कि इसी तरह की शर्त वाला एक संविदा झारखंड राज्य में अपीलार्थी को दिया गया था। उच्च न्यायालय ने भेदभाव और अनुचितता के आधार पर आक्षेपित निविदा शर्त की चुनौती को खारिज कर दिया।

9. खण्ड पीठ द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य आक्षेपित निविदा सूचना में शर्त निर्धारित करने का हकदार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण पैमाने, संवेदनशीलता और सार्वजनिक महत्व की सार्वजनिक परियोजना को निष्पादित करने के लिए सबसे सक्षम और विश्वसनीय बोली लगाने वाले का चयन किया जाता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आक्षेपित निविदा शर्त न तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का और यह तकनीकी क्षमता, वित्तीय ताकत, परिचालन क्षमता के साथ-साथ सफल बोली लगाने वाले की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के वैध उद्देश्य से संबंधित है। तदनुसार, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, ये अपीलें हमारे विचारार्थ उद्धृत होती हैं।

(II) आवेदन का निवेदन

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि एसोसिएशन ऑफ़ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और इसलिए, रिट याचिका पर निर्णय लेते समय उस निर्णय का अवलंब लेकर गलती की। आगे यह निवेदन गया है कि आक्षेपित निविदा शर्त जो यह निर्धारित करती है कि बोली लगाने वालों ने छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अभिकरणों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम रु. 6.00 करोड़ (संचयी) की खेल सामग्रियों की आपूर्ति की हो, भारत के

संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) का उल्लंघन है, क्योंकि यह राज्य के बाहर के सक्षम आपूर्तिकर्ताओं को बाहर करता है और व्यापक भागीदारी को हतोत्साहित करता है और गुटबंदी को बढ़ावा देता है। यह आग्रह किया जाता है कि आक्षेपित निविदा शर्त अपीलार्थी को आक्षेपित निविदा में भाग लेने से बाहर करती है। अतः यह आग्रह किया जाता है कि आक्षेपित सामान्य आदेशों को निरस्त और अपास्त किया जाए और आक्षेपित निविदा शर्त को हटाया जाए।

(III) प्रत्यर्थी का निवेदन

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निविदा प्राधिकरण आक्षेपित निविदा शर्त को तैयार करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर है। आगे यह निवेदन किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक/सामाजिक स्थितियों को देखते हुए, समय पर वितरण की सुरक्षा, गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों को रोकने के लिए आक्षेपित निविदा शर्त को सम्मिलित किया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि अन्य राज्यों में भी आक्षेपित शर्त प्रचलित है। यह बताया गया है कि 21.08.2025 पर वित्तीय बोलियां पहले ही खोली जा चुकी हैं और सफल बोली लगाने वाले चिन्हित किए जा चुके हैं। यह आग्रह किया गया कि यदि यह न्यायालय आक्षेपित निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो परिणामी पुनः निविदा में काफी समय लगेगा और शैक्षणिक वर्ष का काफी भाग बीत जाएगा।

12. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से दिए गए तर्कों को अपनाया है और निवेदन किया है कि आक्षेपित निविदा शर्त को एक उद्देश्य के साथ सम्मिलित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफल बोली लगाने वाले को छत्तीसगढ़ राज्य जो एक नक्सल प्रभावित राज्य है, की स्थलाकृति का ज्ञान हो ताकि राज्य के शासकीय विद्यालयों के बच्चों को खेल सामग्री समय पर वितरित किए जा सकें।

(IV) विश्लेषण

13. हमने तर्क- वितर्क पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है। सुलभ संदर्भ हेतु आक्षेपित निविदा की शर्त नीचे दी जा रही है:

“(4) पिछला पालन निर्बंधन : बोली लगाने वालों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 या 2022-23, 2023-24, 2024-25) में छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के अभिकरणों को कम से कम रु. 6.00 करोड़ (संचयी) मूल्य के खेल सामग्रियों की आपूर्ति की हो।”

14. वर्तमान अपीलों में विचारार्थ एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या उपरोक्त आक्षेपित निविदा शर्त तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी को पूरा करती है और क्या यह एक मनमाना मानदंड है जो अन्य योग्य बोली लगाने वालों को भागीदारी से बाहर करता है जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (छ) में निहित आदेश का उल्लंघन होता है।

15. आगे बढ़ने से पहले, निविदा शर्तों के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की रूपरेखा का संक्षेप में विश्लेषण करना उचित है जो अच्छी तरह चित्रित हैं। **रमण दयाराम शेटी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण व अन्य²** के प्रकरण में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उदारता दिखाने में सरकार का विवेकाधिकार असीमित नहीं है और सरकार अपने मनमाने विवेक से या अपनी प्यारी इच्छा से उदारता नहीं दिखा या रोक नहीं सकती है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार बिना पर्याप्त कारण के किसी भी व्यक्ति को इससे निपटने से बाहर नहीं कर सकती है या मनमाने ढंग से उदारता बंद नहीं सकती है। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि सरकार की गतिविधियों में एक सार्वजनिक तत्व होता है अतः उनमें निष्पक्षता और समानता होनी चाहिए। यह विधि में सुस्थापित है कि सरकार को निविदा की शर्तों को निर्धारित करने में स्वतंत्र हाथ होना चाहिए और न्यायालय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तों को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है

² (1979) 3 SCC 489; AIR 1979 SC 1628

कि निविदा में कुछ अन्य शर्तें निष्पक्ष, विवेकपूर्ण या अधिक तार्किक होती³। यह समान रूप से सुस्थापित विधिक प्रस्ताव है कि निविदा दस्तावेज की शर्तों को तैयार करने के मामले में जब तक कि निविदा प्राधिकरण की कार्रवाई मनमानी और दुर्भावनापूर्ण नहीं पाई जाती है, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा⁴। यह भी विधि में सुस्थापित है कि एक न्यायालय इस बात पर निर्णय पर नहीं बैठ सकती है कि निविदा सूचना में पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए जब तक कि वह मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण न हो।⁵

16. गैर-भेदभाव का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित है। अनुच्छेद 14 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जैसे अन्य अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को संदर्भित करता है जिसमें 'अवसर' भी सम्मिलित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का अर्थ लगाते समय समान अवसर का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अनुच्छेद 19 (1) (छ) एक कंपनी को व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह समान अवसर के सिद्धांत को लागू करने का हकदार है जो हालांकि, सार्वजनिक हित के अधीन है। समान अवसर का सिद्धांत वह स्थान प्रदान करता है जिसके भीतर समान रूप से रखे गए प्रतियोगियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाती है ताकि बड़े सार्वजनिक हित की दिशा में बढ़ा जा सके।⁶

3 शिक्षा निदेशालय व अन्य बनाम एडुकोम्प डेटामैटिक्स लिमिटेड व अन्य (2004) 4 एस.सी.सी. 19

4 ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड व एक अन्य बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड व अन्य (2005) 4 एस. सी. सी. 435- शिमनी उत्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल परिवहन अवसंरचना विकास निगम मर्यादित व अन्य (2010) 6 एस. सी. सी. 303

5 आईकॉम टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड व एक अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 401; यूफ्लेक्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य (2022) 1 एस.सी.सी. 165

6भारत संघ व अन्य बनाम भारत फोर्ज लिमिटेड व एक अन्य (2022) 17 एस.सी.सी. 188

17. अच्छी तरह से स्थापित विधिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम हस्तगत प्रकरण के तथ्य पर लौटते हैं। वर्तमान निविदा छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को खेल सामग्रियों की आपूर्ति के लिए है। आक्षेपित निविदा सूचनाओं में उल्लिखित पात्रता मानदंडों का हासिल किए जाने वाले उद्देश्य अर्थात् विद्यालय के छात्रों को सर्वोत्तम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले खेल सामग्रियों की आपूर्ति के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अतः आक्षेपित सूचनाओं में पात्रता मानदंड को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जो व्यापक रूप से प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करे और राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करे, जो परिणामस्वरूप राजकोष की रक्षा करता है।

18. इस न्यायालय ने **भारत फॉर्ज** (पूर्वोक्त) में समान अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कहा है कि इसकी अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) में पाई जाती है। समान अवसर के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि सभी समान रूप से रखे गए प्रतियोगियों को व्यापार और वाणिज्य में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। यह राज्य को कृत्रिम बाधाओं को खड़ा करके कुछ लोगों के पक्ष में बाजार को मोड़ने से रोकने के लिए बनाया गया है। वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित निविदा शर्त का प्रभाव उन बोली लगाने वालों को बाहर करने पर पड़ता है, जिन्हें वित्तीय रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम होने के यद्यपि पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के अभिकरणों को खेल सामग्रियों की आपूर्ति का कोई अनुभव नहीं है। राज्य ने पात्रता मानदंडों को पिछली स्थानीय आपूर्ति के साथ जोड़कर उन आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध एक कृत्रिम बाधा उत्पन्न की है, जिनका छत्तीसगढ़ राज्य के साथ कोई पूर्व सौदा नहीं था। आक्षेपित शर्त बोली लगाने वालों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जो निविदाओं में भाग लेने के लिए अयोग्य रहे हैं।

19. सार्वजनिक उपापन (खरीदी) का उद्देश्य राजकोष के लाभ के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षित करना है। उक्त उद्देश्य को बोली लगाने वालों को वित्तीय क्षमता,

तकनीकी अनुभव और समान प्रकृति के संविदाओं में पिछले पालन को प्रदर्शित करने की आवश्यकता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, चाहे संविदा के पालन का स्थान कुछ भी हो। निविदा में भाग लेने की पात्रता को सीमित करना, एक राज्य के भीतर न केवल तर्कहीन है बल्कि खेल सामग्रियों की प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लक्ष्य के लिए भी असमान है।

20. अतः इस तरह के प्रतिबंध को भारत के संविधान के 19 (6) के अर्थ के भीतर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जब राज्य को निविदा में शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वह बिना किसी उचित कारण के बाहरी लोगों के लिए बाजार को बंद करके उस शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं कर सकता है जो संवैधानिक संदाय का उल्लंघन करता है। समान अवसर के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा के द्वार उन सभी के लिए खोले जाएं जो समान रूप से तैनात हैं। आक्षेपित निविदा शर्त में सक्षम और अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन्होंने अन्य राज्यों में या केंद्र सरकार के विभागों के लिए कहीं अधिक परिमाण के अनुबंधों को निष्पादित किया हो सकता है, वे निविदा में भाग लिए हों और इसका गुटबंदी (कार्टेलाइजेशन) को बढ़ावा देने का प्रभाव पड़ता है। आक्षेपित शर्त बाहरी लोगों के लिए एक बंद दरवाजे के रूप में काम करती है और बोली लगाने वालों की व्यापक भागीदारी को प्रतिबंधित करती है और प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करती है। अतः आक्षेपित निविदा शर्त अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का भी उल्लंघन करती है।

21. राज्य द्वारा यह तर्क दिया जाना कि छत्तीसगढ़ एक माओवादी प्रभावित क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अभिकरणों को राज्य में आपूर्ति का पिछला अनुभव रखने वालों पर ही भरोसा किया जा सकता है, कई कारणों से असमर्थनीय है। सबसे पहले, प्रश्न निविदा सुरक्षा संवेदनशील उपकरणों के लिए नहीं है बल्कि खेल सामग्रियों की आपूर्ति के लिए है जिसमें कोई विशेष जोखिम या सुरक्षा परिणाम सम्मिलित नहीं हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के केवल कुछ जिले ही माओवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं, और अन्य योग्य

बोली लगाने वालों को बाहर रखने के लिए पूरे राज्य को समान रूप से नक्सलवाद से प्रभावित मानना गलत है। तीसरा, एक सफल बोली लगाने वाला, जो स्थलाकृति से परिचित नहीं है, वह खेल सामग्रियों की आपूर्ति के लिए एक स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सम्मिलित कर सकता है।

22. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित निविदा शर्त मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। राज्य में बच्चों को खेल सामग्रियों की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश तथा अनुच्छेद 19 (1)(छ) द्वारा संदत्त व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

(V) निष्कर्ष

23. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः रिट याचिका (सिविल) सं. 4266/2025, रिट याचिका (सिविल) सं. 4263/2025 एवं रिट याचिका (सिविल) सं. 4274/2025 में पारित 11.08.2025 और 12.08.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल सामग्रियों की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए 21.07.2025 दिनांकित आक्षेपित निविदा सूचनाओं को भी निरस्त और अपास्त किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थी निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नए नोटिस (सूचना) जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

प्रकरण का परिणाम : अपीलें स्वीकार की गईं।

† द्वारा तैयार किए गए हेडनोट : निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।